



भारत का दावत The Gazette of India

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

141
25/5.

4.C. 11193
P.C. 400

No. 20]
ल० 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1987/ज्येष्ठ 2, 1909
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1987/JYAIKTHA 2, 1909

इस भाग में भिन्न घट संख्या वाली जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

भाग II—दण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा संनाय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली, 30 अप्रैल 1987

का. नि. आ. 156—केन्द्रीय सरकार, नीसेना विनियम, 1957
(1957 का 62) की भारा 82 को उधारा (16) के तारीख परिवर्त भारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीसेना (बनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अवधि:

(i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नीसेना (बनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) विनियम, 1986 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(iii) नीसेना (बनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1965 के अध्याय III में विनियम 215 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अवधि:

215—आफिसरों की बाबत अनुचित अनुपस्थिति के लिए वेतन और भत्तों का अपकर्तन।

अपकर्तन का वापरमान—(1) ऐसा कोई आफिसर जो नीसेना विवरण द्वारा छुट्टी के बिना या वपने पाते या कठंबू स्थान की अनुचित रूप से छोड़ते हुए अनुपस्थित पाया जाता है, तो वह नीसेना विवरण द्वारा कन्यथा दिए किसी बन्द दण्ड के अतिरिक्त प्रत्यक्ष दिन की अनुपस्थिति या उसके

भाग के लिए एक दिन के अपकर्तन की दर पर, वेतन और भत्तों के अपकर्तन से दृष्टि किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के प्रयोगन के लिए एक दिन के वेतन के अंतर्गत पूर्ण वेतन और भत्ते होंगे, किन्तु इसके अंतर्गत किए और उसको बनाए रखने के भत्ते सम्मिलित नहीं होंगे।

(3) अपकर्तन का मापदान उन आफिसरों को जो अधिकारियों के देशी पाए जाते हैं, लागू नहीं होगा।

(4) वेतन और भत्तों के अपकर्तन के अपराधी के खाते में से ज्येष्ठता के सम्पर्क द्वारा व्यापारित एक सूक्ष्म रकम विकलित की जाएगी और इस प्रकार विकलित रकम को वपराय के लिए निश्चित उम्मति के रूप में माना जाएगा और उसे बब बसी वेतन में भूतलक्षी प्रभाव से कोई वृद्धि मंजूर की जाती है या जब किसी वपरायी को उन दिनों के लिए, जिनके लिए पूर्ण रूप से अव्याच अपकर्तन किया गया होता, वृद्धि की गई उपलब्धि के अविशेष को जमा किया जाए, तांद में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(5) उपविनियम (1) से (4) के उपरान्द उन आफिसरों को लागू नहीं होंगे जो केवल वापरे पीत के किसी भाग से अनुपस्थित हैं।

(6) अनुपस्थिति की अवधि की गणना—

(i) आरोप में सम्मिलित की गई अनुचित अनुपस्थिति की अवधि की संगणना, सर्वथा उस समय से जब छुट्टी समाप्त होती है।

Affested

(189)

Asstt. Controller (Business)

Govt. of India

Department of Publication

Civil Lines, Delhi-54

1	2
11. 189	2 dated 23 Dec 78
12. 2, 5, 7A, 13, 14, 15, 16, 19, 29, 34, 37, 38, 40, 41, 51 to 54. (to be omitted) 55, 56, 58, 59, 63, 64, Heading of Chapter III, 74, 79, 80, 81, (to be omitted) 82, 83, 84, 93, 94, 114A to be inserted, 115, 121, 136, 138, 139, 146, 155, 158, 177, 185A to be inserted. Addition of Central heading before 187, 193A to be inserted, 209, 215, 216, 219, 222, 226, 230, 231, 232, 239. Appendix II and Appendix IV inserted.	S.R.O. 247 dated 01 Sep 1981
13. 7A, 13, 15 amended. 37A.	S.R.O. 163 dated 22 Chapter IV—A and Appendix Apr 1983 V inserted.
	[File No. MF-DL/0898/15] H. N. NAYAR, Under Secy
	नई दिल्ली, 6 मई 1987
	का. नि. आ. 157.—केन्द्रीय सरकार ने गोपनीय, 1950 (1950 का 46), को धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कमांडर से 2 सिग्नल यूप को, जो ऐसे संचिक संगठन का समादेशन करते वाला अधिकारी है, जो केन्द्रीय सरकार जी राय में विशेष से कम नहीं है, ऐसा अधिकारी विहित करती है, जिसके द्वारा ऐसे अविभाग के बहुत में उन अविभागों के प्रयोग की अधिनियम के प्रयोग किए जाएंगा जिनका प्रयोग उन अविभागों के प्रयोग किए जाते हैं। विशेष का समादेशन करते वाले अधिकारी द्वारा नियम जाता है।
	[फाइल नं. 41776/ए/जी वे-1] एम. एवं. सोखना, उप सचिव (ए. जी.)
	New Delhi, the 6th May, 1987
	S.R.O. 157.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby prescribes the Commander, No. 2 Signal Group, an officer commanding a military organisation, which in the opinion of the Central Government is not less than a brigade, as the officer by whom the powers, which under the said Act may be exercised by an officer commanding a brigade, shall as regards persons subject to said Act who are serving under him, be exercised.
	[File No. 41776/AG/DV-II] M. S. SOKHANNA, Dy. Secy. (AG)
	नई दिल्ली, 4 मई 1987
	का. नि. आ. 158—प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में घोर संसाधन करते के लिए निर्मालित नियम बनाते हैं, यथा:
	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (वैज्ञानिक) नियम, 1987 है।
	(2) ये एकत्र में प्रकाशन को तारीख को प्रवृत्त होने।

(अंगठी)
Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

2. रक्षा अनुसंधान और विकास देवां नियम, 1979 के नियम 3 संपन्नियम (1) के बंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित बंड रखा जाएगा, अबतः—

(क) वैज्ञानिक "B", की भेड़ों की प्रिक्टियां 90% सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और 10% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। जिसके न ही सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। ऐसे सभी वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में पांच वर्ष नियमित तेवा की है और जिनके पास अनुसूची 3 में वैज्ञानिक "B" पद के लिए विद्युत शैक्षिक अहताएँ हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने के पाव द्वारा विसके लिए कोई उच्चतर आयु की सीमा नहीं होगी। किसी अस्थर्यों को ऐसी परीक्षा में दोनों बार से शैक्षिक बैठने को अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा करना किसी ऐसे अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता जो समय-समय पर इस निमित्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा जारित होगा।

[10351/दी भारती एस/भारटी/कार्मिक-1/1826-डी (भारत एंड डी)]

द्वारा द्वारा संचित

टिप्पण : रक्षा अनुसंधान और विकास नियम, का. नि. आ. 8, तारीख 30 दिसंबर, 1978 के बैंग में भारत के राजस्व भाग 2, बंड 4, में प्रकाशित हुए वे भीर तत्वावधार इनका निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :

का. नि. आ. 307, तारीख 10 अक्टूबर, 1980
 का. नि. आ. 196, तारीख 2 अगस्त, 1982
 का. नि. आ. 159, तारीख 5 मई, 1983
 का. नि. आ. 176, तारीख 7 अगस्त, 1984
 का. नि. आ. 228, तारीख 13 नवंबर, 1984
 का. नि. आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985
 का. नि. आ. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985
 का. नि. आ. 228 तारीख 6 जून, 1986

New Delhi; the 4th May, 1987

S.R.O. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in rule 8, in sub-rule (1), for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) The vacancies in the grade 'B' shall be filled 90 per cent direct recruitment, and 10 per cent through a limited departmental competitive examination failing which by direct recruitment. All Scientific and technical personnel having 5 years regular service in Defence Research and Development Organisation and possessing the educational qualifications prescribed for the post of Scientist 'B' in Schedule III shall be eligible to appear at the said examination for which there shall be no upper age limit. Unless covered by any of the exceptions that may, from time to time, be notified by the Government in this behalf no candidate shall be permitted to avail of more than three chances at the examination. The conduct of the limited departmental competitive examination shall be governed by regulations made by the Department of Defence Research and Development, Ministry of Defence.

[No. 10351/DRDS/RD/Pers-1/1826-D(R&D)]

DURGA DASS, Under Secy.

NOTE: The Defence Research and Development Services Rules were published in the Gazette of India Part II, section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978 have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986.

Attested

3/2/1987

Asstt Controller Business
 Govt of India
 Department of Publication
 Civil Lines, Delhi-54